राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

श्रीमान् सम्पादक महोदय,
दैनिक पंजाब केसरी,
जयपुर।

विषयः आपके समाचार पत्र में दिनांक 10.09.2018 को राजस्थान विश्वविद्यालय के संबंध में प्रकाशित समाचार में उल्लेख किए गए वस्तुस्थिति के विपरीत, भ्रामक एवं आधारहीन तथ्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार इस आधारहीन व अनावश्यक तथ्यों पर आधारित समाचार के सन्दर्भ में निम्न वस्तुस्थिति आपको इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के आशय से प्रेषित की जा रही है।

महोदय, समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा 32 कर्मचारियों का नियम विरूद्ध नियमितीकरण किया गया है । उक्त समाचार तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है । क्योंकि इन कार्मिकों का नियमितीकरण दिनांक 22–1–2010 को ही हो चुका है । जहॉ तक इनकी पूर्व वर्षों की सेवा का प्रश्न है विश्वविद्यालय में परिपत्र दिनांक 23–9–1974 के आधार पर जिन कार्मिकों ने 3 वर्ष तक अस्थाई सेवा दी है उनको 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर एवं सही आचरण पाये जाने के आधार पर नियमित कर दिया जावे । इस हेतु 2010 में प्रो0 मधुकरश्याम चतुर्वेदी कमेटी ने भी इन्हें नियुक्ति तिथी से नियमित करने की अनुशंसा की है । विश्वविद्यालय के सेवानियमों के Ord.357-A में भी यह सन्निहित है कि 3 वर्ष की नियमित सेवा अस्थाईतौर पर पूर्ण करने वाले कार्मिक को परिवीक्षा काल के बाद स्थाई किया जावे । पूर्व में उक्त आधार पर ऐसे कार्मिक को स्थाई किया जाता रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा पुनः इनकी सेवाओं के परीक्षण हेतु प्रो0 संतोष पाण्डे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई । उक्त कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि इन कार्मिकों को मानवीय आधार पर इनके प्रथम नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना कर इन्हें 9–18–27 का काल्पनिक लाभ दिया जावे । वित्तीय लाभ 2010 से देने कि अभिशंसा की है । जिसके आधार पर सिंडीकेट के अनुमोदन के उपरांत 9–18–27 का लाभ काल्पनिक आधार पर दिये जाने के आदेश जारी किये गये ।

अतः उक्त समाचार, निराधार, तथ्यों से परे तथा भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाला है । इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन आपको यह भी सूचित करना चाहता है कि पूर्व में भी आपके सवांददाता

द्वारा इसी तरह अनावश्यक एवं तथ्यविहीन समाचारों का प्रकाशन किया जाता रहा है। इन आधारहीन प्रकाशित समाचारों को लेकर अनावश्यक भ्रम की स्थिति है साथ ही राज्य के इस प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मत है कि ऐसे तथ्यविहीन समाचारों के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक विधिक एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही करनी चाहिए। विश्वविद्यालय इस संबंध में विचार भी कर रहा है। सम्पूर्ण स्थिति की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

सादर।

भवदीय

जनसम्पर्क अधिकारी